उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)
BOARD OF SCHOOL EDUCATION UTTARAKHAND, RAMNAGAR (NAINITAL)
Phone No-05947-254275 E-mail: secy-ubse-uk@nic.in Website- www.ubse.uk.gov.in

अति महत्वपूर्ण/ई–मेल

प्रेषक,

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

सेवा में,

समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
उत्तराखण्ड।

पत्रांकः उ०वि०शि०प०/शोध/हाई0–पाठ्यक्रम (2024–25)/07-16 /2024–25 दिनांक 02 अप्रैल, 2024

विषयः सत्र 2024–25 हेतु हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराया जाना है कि सत्र 2024–25 हेतु हाईस्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम संस्थाध्यक्षों, विषयाध्यापकों व विद्यार्थियों के उपयोगार्थ एवं सुलभ सन्दर्भ हेतु प्रसारित किया जा रहा है। इस विषयक महत्वपूर्ण दिशानिर्देश निम्नवत् हैं–

1. हाईस्कूल स्तर पर संचालित विभिन्न विषयों में सैद्धान्तिक, आन्तरिक मूल्यांकन, प्रोजेक्ट व प्रयोगात्मक भाग में विषयवार अंक विभाजन का विवरण निम्नवत् है–

S. No.	CODE	NAME OF THE SUBJECT	THEORY	PRACTICAL	PROJECT	INTERNAL ASSESS. (IA)	MAX. MARKS	MIN. PASSING MARKS
1	001	HINDI	80	–	–	20	100	33
2	004	URDU	80	–	–	20	100	33
3	005	PUNJABI	80	–	–	20	100	33
4	006	BENGALI	80	–	–	20	100	33
5	021	ENGLISH	80	–	–	20	100	33
6	028	SANSKRIT	80	–	–	20	100	33
7	031	MATHEMATICS	80	–	–	20	100	33
8	032	HOME SCIENCE (ONLY FOR GIRLS)	70	30	–	–	100	33
9	033	SCIENCE	80	–	–	20	100	33
10	034	SOCIAL SCIENCE	80	–	–	20	100	33
11	035	HINDUSTANI MUSIC VOCAL	30	50	–	20	100	33
12	036	HINDUST. MUSIC MELODIC INSTRU.	30	50	–	20	100	33
13	037	HINDUSTANI MUSIC PERCUS. INSTRU.	30	50	–	20	100	33
14	041	PAINTING	30	50	–	20	100	33
15	042	ELEMENTS OF BUSINESS	70	30	–	–	100	33
16	043	ELEMENTS OF BOOK KEEPING & ACCOUN.	70	–	30	–	100	33
17	044	TYPEWRITING ENGLISH OR HINDI	25	75	–	–	100	33
18	045	HOME SCIENCE	70	30	–	–	100	33
19	046	INFORMATION TECHNOLOGY	50	50	–	–	100	33
20	050	AGRICULTURE	50	50	–	–	100	33
21	052	IT-ITES	30	50	–	20	100	33
22	053	AUTOMOTIVE	30	50	–	20	100	33
23	054	RETAIL	30	50	–	20	100	33
24	057	TOURISM & HOSPITALITY	30	50	–	20	100	33
25	058	BEAUTY & WELLNESS	30	50	–	20	100	33
26	060	AGRICULTURE	30	50	–	20	100	33

क्रमशः

27	061	ELECTRONIC & HARDWARE	30	50	—	20	100	33
28	062	MULTISKILLING	30	50	—	20	100	33
29	063	PLUMBING	30	50	—	20	100	33

2. विभिन्न विषयों के सैद्धान्तिक भाग के इकाईवार भारांकों का विवरण अनुलग्नक–1 पर वर्णित है।
3. विभिन्न विषयों के आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग हेतु निर्धारित किये गये मूल्यांकन विन्दुओं/मानकों तथा अंक विभाजन का विस्तृत विवरण अनुलग्नक–2 में उल्लेखित है।
4. रचनात्मक आकलन (Formative Assessment) को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कक्षा 9 से 12 तक गृह व परिषदीय् परीक्षाओं में सतत मूल्यांकन का समावेश कर इकाई परीक्षाओं को महत्व प्रदान करते हुये विद्यार्थी के परीक्षाफल निर्माण में उसे पूर्ववत् स्थान दिया गया है।
5. विहित व्यवस्थानुसार परीक्षार्थी को किसी भी विषय में सैद्धान्तिक तथा आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक भाग (जो भी लागू हो) में कुल मिलाकर 33% अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किया जायेगा, किन्तु परीक्षार्थी को विषय के प्रत्येक भाग यथा– सैद्धान्तिक, आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक (जो भी लागू हों) में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना होगा।
6. परीक्षार्थी को वार्षिक/परिषदीय् परीक्षा में अधिकतम किन्हीं दो विषयों में अधिकतम 08 अंकों का कृपांक देय होगा। किसी विषय में नियमानुसार कृपांक तभी देय होगा जबकि उसके द्वारा सैद्धान्तिक, आन्तरिक मूल्यांकन/प्रोजेक्ट/प्रयोगात्मक (जो भी लागू हो) भाग में कुल मिलाकर 25% अंक प्राप्त किये गये हों तथा समस्त विषयों के कुल प्राप्तांकों का योग न्यूनतम 33% हो।
7. गृह व परिषदीय् परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों से सम्बन्धित दिशानिर्देश अनुलग्नक–3 में उल्लेखित हैं।
8. हाईस्कूल स्तर पर इकाई परीक्षा व प्रोन्नति सम्बन्धी आवश्यक दिशानिर्देश व नियम अनुलग्नक–4 में वर्णित हैं।
9. परीक्षाफल निर्माण हेतु प्रगति विवरण पत्र का प्रारूप सुलभ सन्दर्भ हेतु अनुलग्नक–5 के रूप में संलग्न हैं।
10. गत वर्ष 2023–24 में कक्षा–9 में भाषा विषयों के प्रश्नपत्र में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का समावेश करते हुये लागू किया गया पैटर्न इस वर्ष कक्षा–10 की अर्द्धवार्षिक व परिषदीय् परीक्षा में भी प्रभावी होगा।
11. उक्त जानकारी परिषद् की वेबसाइट ubse.uk.gov.in के SYLLABUS→HIGH SCHOOL लिंक पर भी उपलब्ध हैं।

उपरोक्त क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में अपने जनपद के समस्त अधीनस्थ अधिकारियों, संस्थाध्यक्षों, विषयाध्यापकों व विद्यार्थियों के तत्काल अवगत कराने हेतु आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।

संलग्नक–उक्तवत्।

2/5/2024

(वी०पी० सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।

पृ०सं०: उ०वि०शि०प०/शोध/हाई०–पाठ्यक्रम (2024–25)/07-16/2024–25 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, देहरादून।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मण्डलीय अपर निदेशक, कुमाऊँ, नैनीताल/गढ़वाल, पौड़ी।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) उत्तराखण्ड *(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)*।
8. समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी उत्तराखण्ड *(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)*।
9. समस्त संस्थाध्यक्ष उत्तराखण्ड *(सम्बन्धित मुख्य शिक्षा अधिकारी के माध्यम से)*।

2/5/2024

(वी०पी० सिमल्टी)
सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर (नैनीताल)।